राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 पार्ट–13 जयपुर, दिनांक : 17 APR 2023

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा की अनुपालना में 02 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारम्भ किया गया। बजट घोषणा वर्ष 2022–23 द्वारा अभियान की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक बढाया गया था। उक्त अवधि में लगभग 7,08,662 पट्टे जारी किये जाकर कुल 25,62,144 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2023–24 से प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को 31 सितम्बर, 2023 तक बढाया जाकर राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे **"महंगाई राहत कैम्प"** के विशेष काउन्टरों को सम्मिलित करते हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत विशेष शिविर दिनांक 24.04.2023 से 30.06.2023 तक के संबंध में निम्न आदेश प्रदान किए जाते हैं:–

1. इन विशेष शिविरों का 24 अप्रेल, 2023 से 30 जून, 2023 तक नये रूप में प्रत्येक वार्ड वार आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक नगरीय वार्ड में दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रतिदिन नगर निगम क्षेत्रों में 4 शिविर, परिषद क्षेत्र में 2 शिविर तथा नगर पालिका क्षेत्र में 1 शिविर का आयोजन किया जावेगा। संबंधित प्राधिकरण, न्यास, आवासन मण्डल एवं नगर निगम/परिषद/पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शिविरो में अभियान संबंधी कार्य साथ–साथ करेंगे, साथ ही प्रत्येक शिविर में मंहगाई राहत कैम्प की Canopy अलग से स्थापित की जायेगी।

2. **विशेष शिविरों की पूर्व तैयारी –**

   2.1 शिविर स्थल का चयन कर 20 अप्रेल 2023 तक जिला कलक्टर द्वारा शिविर कार्यक्रम संबंधित निकाय के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जारी किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक शिविर का प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किया जायेगा तथा उक्त अभियान के विशेष शिविरों का व्यापक प्रचार–प्रसार, इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट/सोशल मीडिया तथा अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों यथा हौर्डिंगस्, पम्पलैट इत्यादि के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

   2.2 पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा वार्ड पार्षदों/ई–मित्र/आंगनबाड़ी/वार्ड के निवासियों को उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता की जावे। मंहगाई राहत कैम्पों में ई–मित्र की कोई भूमिका नहीं होगी।

CamScanner

2.3 लम्बित आवेदनों एवं आवेदनों की वर्तमान स्थिति को सूचीबद्ध कर नोटिस बोर्ड/सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जावे। लम्बित प्रकरणों हेतु शिविर में विशेष डेस्क लगायी जायेगी जिस पर लम्बित प्रकरणों का ब्यौरा/सूची/प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ पट्टे जारी नहीं किये जा सकते हैं, उनकी सूची चस्पा की जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। इस संबंध में संबंधित पर्यवेक्षकों/क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा भी पर्यवेक्षण कर कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

2.4 शिविरों के सफल आयोजन हेतु जिलों को आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री, मार्गदर्शिका आदि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाकर समुचित रूप से शिविरों में आमजन हेतु वितरण कराया जाना सुनिश्चित करावें।

2.5 वे योजनाएं जिनके ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जा चुके हैं या जो स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। लम्बित सभी ले–आउट प्लान शिविर के पूर्व अनुमोदन करके जारी करना सुनिश्चित किया जावें। उन सभी की जानकारी नोटिस बोर्ड/वैबसाईट के माध्यम से आमजन को दी जावे। साथ ही विभाग द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शिकाओं को शिविरों में आमजन हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2.6 सभी आवेदनों में स्वः निर्धारण से राशि जमा कराने की व्यवस्था की जावे।

2.7 एम्पावर्ड समिति की बैठकें आदेश दिनांक 28.09.2021 के अनुसार आयोजित की जाकर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करावें।

2.8 शिविर दिनांक से पूर्व ही एक टीम द्वारा वार्ड के नागरिकों से सम्पर्क किया जाकर होने वाले कार्यों एवं लाभों की जानकारी एवं आवेदन पत्रों का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. प्रत्येक शिविर दो दिवस का होगा, जिसमें निम्न प्रकार कार्यवाही की जावेगी–

प्रथम दिवस– आवेदन पत्र की पूर्ति व भरने में आवश्यकतानुसार वार्ड पार्षदगण/जन प्रतिनिधियों/स्वयंसेवकों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों आदि का सहयोग लिया जावेगा। पट्टे से वंचित रहे व्यक्तियों हेतु कराये गये वार्डवार सर्वे अनुसार आवेदन करवाना एवं द्वितीय दिवस पर निस्तारण हेतु रखवाया जाना सुनिश्चित करावें। पूर्व के शिविरों/कार्यालय में प्राप्त लम्बित आवेदनों एवं शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षणोपरान्त समुचित कार्यवाही की जावेगी। कमियों की पूर्ति शिविर में ही करवायी जावेगी। अति–आवश्यक होने पर ही मौका निरीक्षण/सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की जावेगी।

CamScanner

द्वितीय दिवस –प्रथम दिवस के लम्बित प्रकरणों एवं द्वितीय दिवस में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये देय राशि जमा करवायी जावेगी एवं पट्टे तथा अन्य जारी किये जाने वाले आदेश/स्वीकृतियां तैयार की जावेंगी। लम्बित प्रकरणों में राशि जमा होने पर शिविर में ही पट्टे/स्वीकृतियां दिया जाना सुनिश्चित करें।

प्रथम व द्वितीय दिवस के अनुसार कार्यवाही करते हुये राशि जमा नही होने पर आवेदक को सूचित किया जायेगा, पट्टे व स्वीकृतियों का वितरण किया जावेगा। जो पट्टे/स्वीकृतियां शेष रह जायेंगे उनको तैयार कर **10 दिवस में आवेदक को एसएमएस/वॉट्सएप के माध्यम से सूचित कर पट्टा/स्वीकृति प्राप्त करने हेतु स्थान एवं दिनांक के बारे में अवगत कराया जायेगा।** यदि 15 दिवस में आवेदक पट्टा लेने नहीं आता है, तो यथासंभव आवेदक के निवास स्थान पर नगर मित्र/कार्मिकों के माध्यम से पट्टे उपलब्ध कराये जायेंगे।

4. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभियान अवधि में शिविरों में किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्न हैं :–

1. नगरपालिका अधिनियम–2009 की धारा 69–ए के अन्तर्गत स्वामित्व अधिकार अभ्यर्पण कराकर नवीन पट्टे देना।
2. कृषि भूमि पर बसी हुयी कॉलोनियों में मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान/स्वीकृत की गयी योजनाओं के अनुरूप पट्टे देना।
3. निकायों की योजनाओं में पट्टे देना।
4. अवाप्तशुदा/निकायों की भूमियों पर बसी कॉलोनियों के पट्टे देना।
5. फ्री–होल्ड पट्टे जारी करना।
6. भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन।
7. भवन मानचित्र अनुमोदन।
8. स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् पट्टे।
9. अधिसूचित कच्ची बस्तियों के पट्टे देना।
10. खांचा/बढ़ी हुई भूमि का आंवटन।
11. नाम हस्तान्तरण, विक्रय स्वीकृति, एन.ओ.सी. इत्यादि।
12. गाड़िया/लुहारों, घुमन्तू/अर्द्ध घुमन्तु/विमुक्त जातियों के आवासहीन परिवारों को 50 वर्गगज के आवासीय भूखण्डों का निःशुल्क आंवटन करना।
13. EWS/LIG/MIG A&B/HIG आवासों की बकाया राशि व किस्तों में छूट एवं आंवटन बहाल करना।
14. भूमि अवाप्ति के बदले विकसित भूखण्डों का आवंटन/आरक्षण पत्र जारी करना।
15. सेक्टर रोड़ का चिन्हीकरण व Earthwork करना।

CamScanner

16. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत् स्वयं सहायता समूहों का गठन, कौशल प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयनीकरण एवं आवेदन प्राप्त करना, स्व–रोजगार हेतु ऋण दिलवाने बाबत् आवेदन प्राप्त करना एवं स्वीकृति जारी करना, **प्रधानमंत्री स्व निधि योजना में पात्र स्ट्रीट वेन्डर्स को चिन्हित किया जाकर अनुशंषा–पत्र जारी करना ताकि ऐसे लोग अपना रोजगार सरलता से प्राप्त कर सकें।** (केवल नगरपालिकाओं के लिए)
17. इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना–2021 में शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेण्डर्स, सर्विस सेक्टर के युवाओं तथा बेरोजगारों को रोजगार एवं रोजमर्रा जरूरतों के लिए 50000/–रूपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना। (केवल नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के लिए)
18. स्वच्छ भारत मिशन में सोलिड वेस्ट डिस्पोजल हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन/सेट–अपार्ट कराना।
19. अभियान के दौरान स्वच्छता के लिये जन जागरूकता एवं शहरों को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय का स्थल का चिन्हिकरण एवं स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन हेतु आवेदन एवं कनेक्शन देने आदि कार्य।
20. राजस्थान आवासन मण्डल की कॉलोनियों में सड़क रिपेयरिंग, नाम हस्तान्तरण, स्ट्रीट लाईट, शुल्क, पट्टे आदि कार्य।

नोट :– आदेश दिनांक 28.09.2021 के परिशिष्ट 1 पर अभियान में किये जाने वाले सभी कार्यो की सूची उपलब्ध है।

5. अन्य विभागों से संबंधित कार्य निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें :–

(1) राजस्व विभागः–

(i) कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों के पट्टे देने हेतु सुओ–मोटो धारा 90–ए (8) की कार्यवाही में तहसीलदार की सहमति सात दिवस में दिये जाने का प्रावधान है, जो शिविर में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(ii) प्रकरणों में 90–बी/90–ए की कार्यवाही के बाद सभी नामान्तरण स्थानीय निकाय के नाम कर किस्म आबादी किये जाने का प्रावधान है। 90–बी/90–ए की कार्यवाही किये हुये प्रकरणों की सूची संबंधित नगरीय निकाय द्वारा शिविरों से पूर्व ही तहसीलदार को उपलब्ध करायी जायेगी जिससे शिविर में ही तहसीलदार द्वारा नामान्तरण नगरीय निकाय के नाम किया जाना सुनिश्चित करावें।

(iii) शहरी क्षेत्रों में नयी कच्ची बस्तियां विकसित हो गई है जिनमें गरीब परिवार बस गये है। ऐसी कच्ची बस्तियों का सर्वे करवाकर पट्टे दिये

CamScanner

जावें। दिनांक 31.12.2021 तक विकसित हुई कच्ची बस्तियों का सर्वे कराने एवं 31.12.2021 तक बसे हुये लोगों को पट्टा देने है। सर्वे का कार्य जिला कलक्टर के माध्यम से किया जायेगा।

(2) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :–

(i) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड इत्यादि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत प्रकरणों का निस्तारण, एवं

(ii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं का प्रचार–प्रसार व क्रियान्वयन।

(3) जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यः–

(i) जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाईनों के लीकेज,

(ii) नाली व नाले के अन्दर की पाईप लाईन को शिफ्ट करना,

(iii) खराब पडे सार्वजनिक नल व हैण्ड पम्प को ठीक करवाना।

(4) ऊर्जा विभाग से संबंधित कार्य :–

(i) लटके हुये तारों को व्यवस्थित करना,

(ii) आवासीय भवनों के ऊपर से जाने वाली सभी प्रकार की विद्युत लाईनों को शिफ्ट करना, तथा

(iii) आवासीय भवनों के बकाया विद्युत कनेक्शन यदि पेंडिग है, तो उन्हें जारी करना।

(5) सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित कार्य :–

(i) नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार वाली क्षतिग्रस्त व टूटी सड़कों तथा पुलियाओं की मरम्मत का कार्य करवाना।

(ii) नगर निकायो को शहरी क्षेत्र में अवस्थित नजूल संपत्तियॉ, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही हो, का हस्तांतरण नगर निकायों को करना।

(6) महिला एवं बाल विकास विभाग :–

(i) महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पोषण अभियान, शाला पूर्व शिक्षा, महिला अधिकारिता की उड़ान योजना, अम्मा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की प्रचार सामग्री का वितरण,

(ii) आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि के पट्टे आवंटन,

(iii) भवन मरम्मत,

(iv) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत एवं पानी की व्यवस्था आदि।

CamScanner

(7) **चिकित्सा विभाग :–**

(i) विशेष योग्यजन को प्रमाण पत्र जारी करना,

(ii) मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पंजीयन।

(8) **कला एवं संस्कृति विभाग :–**

(i) लोक कलाकारों का रजिस्ट्रेशन करना।

नोट :– सभी विभाग इन शिविरों के दौराने अपने–अपने विभाग की उन संबंधित क्षेत्रों की बजट घोषणाओं की सूची साथ रखेंगे एवं उन्हें समय पर पूर्ण करने के लिए अगर इन शिविरों के दौरान कोई कार्यवाही की जा सकती हो, तो वह करेंगे।

6. **मुख्यमंत्री गरीबी राहत शिविर विशेष काउन्टर :–** शिविर के साथ ही विशेष काउन्टर स्थापित किये जायेंगे जहाँ उक्त शिविरों से संबंधित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

7. **शिविर स्थल**– वार्ड में स्थित सुविधाजनक राजकीय भवन/सार्वजनिक स्थल जैसे वार्ड कार्यालय, सामुदायिक केन्द्र, अम्बेडकर भवन, विद्यालय इत्यादि।

8. **शिविर का समय**– प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक (लम्बित आवेदनों के निस्तारण उपरान्त ही शिविर समाप्त किया जावेगा)

9. शिविरों में होने वाले कार्यों के संबंध में प्रत्येक कार्य के Weigtage का निर्धारण स्वायत्त शासन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा किया जायेगा और फिर उसके आधार पर DOIT के application के माध्यम से नगर निकायों की रैंकिंग की जायेगी।

संलग्न :–

1. प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी छूटों का विवरण।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

CamScanner

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सचिव/निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री (समस्त)
4. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त)
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
11. आयुक्त जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, राजस्थान। (पैरा संख्या 9 के संदर्भ में)
13. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
14. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
15. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
16. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
17. प्रेक्षक, समस्त संभाग।
18. रक्षित पत्रावली।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम
नगरीय विकास विभाग

CamScanner